पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 जनवरी, 2021 ई0 (पौष 12, 1942 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

26 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 F-9(29)(I)/RG/UERC/2020/923–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 सपठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2018 (मुख्य विनियम) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित करता है, अर्थात् :-

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 होगा।

(2) ये विनियम इनकी अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2 मुख्य विनियम के विनियम 33 (2) में संशोधनः

मुख्य विनियम के विनियम 33 के उप-विनियम 2(a)(v) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगाः अर्थात्:-

"(2) वितरण

(a) वितरण अनुज्ञापी को वितीय वर्ष हेतु कार्यशील पूँजी के अनुमानित स्तर पर ब्याज अनुज्ञात होगा, जिसे निम्नानुसार संगणित किया जायेगाः

(i) एक माह के लिए प्रचालन और अनुरक्षण व्यय;

(ii) प्रचालन और अनुरक्षण व्यय का 15% की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स; धन

(iii) प्रचलित शुल्कों पर विद्युत के विक्रय से अपेक्षित राजस्व के दो माह के बराबर;

(iv) आयोग द्वारा अनुज्ञात वर्तमान देयों के संग्रहण में ऐसी कमी के वित पोषण हेतु आवश्यक पूँजी; ऋण

(v) वार्षिक विद्युत क्रय योजना के आधार पर विद्युत क्रय की लागत के एक माह के बराबर

3 मुख्य विनियम के विनियम 12 (6) में संशोधनः

मुख्य विनियम के विनियम 12(6) के उप-विनियम (k) एवं (l) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगाः अर्थात्:-

"6" आवेदक के निष्पादन में कुछ उदाहरण-स्वरुप परिवर्तन या अपेक्षित परिवर्तन, जिन्हें आयोग द्वारा नियंत्रणीय कारकों पर आरोपित किया जा सकता है, में निम्नलिखित सम्मिलित होगा किन्तु उन तक सीमित नहीं होगा:

(a) भू अधिग्रहण मुद्दों के कारण समय और/या लागत बढ़ने के फलस्वरुप पूंजीगत व्यय में परिवर्तन,

(b) एक परियोजना को लागू करने में दक्षता जिसके लिये ऐसी परियोजना की परिधि में अनुमोदित परिवर्तन, कानूनी लेवीज़ में परिवर्तन या अपरिहार्य घटनाओं और उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC के ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता या एजेन्सी के कारण परियोजना के निष्पादन में विलम्ब को आरोपित नहीं किया जा सकता।

(c) तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में परिवर्तन,

(d) अशोध्य ऋण,

(e) निष्पादन मानदंडों में परिवर्तन,

(f) कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं में परिवर्तन,

(g) समय-समय पर संशोधित उविनिआ (निष्पादन के मानक) विनियम, 2007 के विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने में विफलता, सिवाय उसके जहां ऐसे विनियमों के अनुसार छूट प्राप्त हो,

(h) पूंजीगत व्ययों में परिवर्तन के कारण वित्त पोषण पद्धति में परिवर्तन,

(i) आपूर्ति की गुणवत्ता में परिवर्तन,

(j) प्रचालन और अनुरक्षण व्ययों में परिवर्तन,

(k) विद्युत खरीद देयता के निर्वहन पर अर्जित छूट;

(l) बिजली खरीद देयता के विलंबित निर्वहन के कारण देर से भुगतान अधिभार;

4 मुख्य विनियम के विनियम 84 (3) में संशोधनः

मुख्य विनियम के विनियम 84(3) के द्वितीय नियम के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगाः अर्थात्:-

"(1) उपरोक्त घटकों को निम्नांकित विनिर्दिष्ट तरीके से संगणित किया जायेगा :

EMPn = (EMPn-1) x (1+Gn) x (1+CPI इन्फ्लेशन)

R&Mn = K x (GFAn-1) x (1+WPI इन्फ्लेशन) और

A&Gn = (A&Gn-1) x (1+WPI इन्फ्लेशन)+प्रावधान

जहां-

- EMPn-1 = (n-1) वें वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें;
- A&Gn-1 = (n-1) वें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें;

प्रावधानः वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तावित और आयोग द्वारा प्रमाणीकृत पहलों या अन्य एकबारी व्ययों के लिये लागत।

- 'K' % में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट स्थिरांक है। नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु K का मूल्य, अनुज्ञापी की फाईलिंग, मरम्मत और रखरखाव व्ययों की बेंचमार्किंग, अनुमोदित मरम्मत और रखरखाव व्ययों के मुकाबले पूर्व मे आयोग द्वारा अनुमोदित GFA और कोई अन्य कारक जो आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जायें, पर आयोग के आदेश द्वारा अवधारित MYT शुल्क आदेश के आधार पर किया जायेगा;
- CPI इन्फ्लेशन- ठीक पिछले तीन वर्षों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में औसत वृद्धि है;
- WPI इन्फ्लेशन- ठीक पिछले तीन वर्षों के लिये थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में औसत वृद्धि है;
- GFAn-1 - n वें वर्ष के लिये वितरण अनुज्ञापी की सकल स्थिर आस्ति;
- Gn n वें वर्ष के लिये एक वृद्धि कारक है और यह वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर शून्य से अधिक या उससे कम हो सकता है। Gn का मूल्य अनुज्ञापी की फाईलिंग, बेंचमार्किंग, और कोई अन्य कारक जिन्हें आयोग उपयुक्त समझे, पर आधारित अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिये MYT शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगाः

परन्तु अवधारित मरम्मत और रखरखाव व्ययों का उपयोग केवल मरम्मत और रखरखाव कार्यों के लिये किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त आई0टी0 सम्बन्धित परिसंपत्तियों और गैर-आई0टी0 सम्बन्धित परिसम्पत्तियों के लिए मरम्मत और रखरखाव के खर्च को इन विनियमों के अन्तर्गत अलग से गणना की जाएगी, यदि वितरण उपयोगिता (कम्पनी) इन विनियमों के तहत दावा किए गए आर एण्ड एम व्ययों की परिसंपत्तियों वार विवरण को अलग से अभिलेखित रखते है।

आयोग के आदेश से,
नीरज सती,
सचिव,
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।